

कार्यालय-प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय.....

क्रमांक :- राउमावि.....

दिनांक :

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान के आदेशांक :- एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017, पीटी-II, जयपुर दिनांक 12.09.2024 के अनुसरण में 30 जून, 2006 अथवा इसके पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को एक कल्पित वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदत्त किये जाने के निर्देश पर इनके द्वारा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के आधार पर आगामी 01 जुलाई को एक कल्पित वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदत्त की जाती है :-

क्र.सं.	से.नि. कार्मिक/अधिकारी का नाम	पद	सेवानिवृत्ति तिथि	से.नि. तिथि को विद्यमान वेतन एवं पे मेट्रिक्स लेवल	काल्पनिक वावेवृ स्वीकृति तिथि	काल्पनिक वावेवृ स्वीकृति उपरान्त वेतन एवं पे मेट्रिक्स लेवल	विशेष विवरण
1							काल्पनिक

नोट :- उक्त कल्पित वा.वे.वृ. की परिलब्धि केवल पेंशन प्रयोजन हेतु मानी जाएगी। ग्रेच्युटी, कॉम्प्यूटेशन एवं अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों हेतु मान्य नहीं होगी। दिनांक 01.07.2006 से 10.04.2023 तक उक्त कल्पित वा.वे.वृ. का पेंशन एरियर देय नहीं है। इसका वास्तविक पेंशन एरियर दिनांक 11.04.2023 अथवा से.नि. तिथि के पश्चात्तर्वर्ती 01 जुलाई (इनमें जो भी बाद में हो) से नकद देय होगा।

प्रधानाचार्य

क्रमांक :- राउमावि.....

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर।
- 2 संबंधित कार्मिक/अधिकारी श्री
- 3 निजी पंजिका संबंधित कार्मिक/अधिकारी
- 4 कार्यालय रक्षित पत्रावली

प्रधानाचार्य